International Journal of Hindi Research
ISSN: 2455-2232
Impact Factor: RJIF 5.22
www.hindijournal.com
Volume 4; Issue 2; March 2018; Page No. 14-15

बेटियाँ जन्मी (सिर्फ माँ की कोख में)

डॉ0 सारिका त्यागी
टयूटर सांध्याकालीन कक्षा, एम0एम0एच0डिग्री कालिज, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।

प्रस्तावना

नारी जाति पर समाज ने जितने अत्याचार किये हैं, वह अनगिनत है। उन अत्याचारों को शब्दों की सीमा में बाँधना मेरी कलम की क्षमता से बाहर है, लेकिन इस लेख के द्वारा मैं उन बेटियों की तरफ ध्यान आकर्षित करती हूँ जिनसे उनके जन्म लेने का हक ही छीन लिया जाता है। माँ के गर्भ में विकसित नन्हीं सी कली के गर्भकाल में ही टुकड़े कर दिये जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में प्रतिवर्ष 150 लाख गर्भपात होते हैं। यह वह संख्या है जो दुनिया के तमाम देशों के कराये गये गर्भपातों का लेखा–जोखा बताती है।

> "We all pledge that as responsible citizens of this country, we will abide by law i .e. pre-natal diagnostic techniques Act 1994. We will not indulge ourselves or be a party to this heinous crime of sex determination and selective female foeticide."[1] Indian Medical Association"

गर्भधारण करने के लिए स्त्री पुरूष पर निर्भर रहती है लेकिन गर्भ में पल रहे शिशु को जन्म देने का अधिकार स्त्री के पास नहीं है, वह न चाहते हुए भी गर्भपात के लिए विवश है। स्त्री सिर्फ भोग्य वस्तु मात्र बनकर रह गई है। स्त्रियों को उनकी इच्छा के विरूद्ध गर्भधारण और गर्भपात दोनों के लिए विवश करना पुरूष का अधिकार बना हुआ है। स्त्री अधिकारों की बात सिर्फ कानून की किताबों के पन्नों में सिमटकर रह गयी है, यथास्थिति यह है कि स्त्री की कोख पर भी उसका नहीं अपितु उसके परिवार का अधिकार बना हुआ है। डॉ शारदा जैन जी के शब्दों में–

> "Women have no right over their womb. The decision of sex selective abortions is often not hers. Mainly the evil of dowry plays a significant role in influencing the family decision to terminate a girl child. Legal restrictions or lack of access to professional care due to lack of money, will not stop woman from seeking termination of unwanted female foetus in her womb, even if it costs her life."[2]

भारत के विषय में सन् 2000 में जारी की गई रिपोर्ट यह बताती है कि देश के 27 राज्यों में लड़कियों की भ्रूण हत्या की जा रही है, और राजस्थान तो इस कार्य में अग्रणी है। वहाँ जन्मपूर्व/जन्म के बाद दोनों ही प्रकार से बेटियों की हत्या की जाती है। कैसी विडम्बना है कि सृष्टि की सबसे अनुपम कृति स्त्री (पुरूष की जन्मदात्री) उसी (पुरूष) के आगे विवश है।

जब गर्भ में बेटी की हत्या की जाती है तो सबसे पहले समाज की उँगली उठती है तो सिर्फ माँ की तरफ। और अनायास ही मुँह से कुछ ऐसे शब्द निकलते हैं कि कैसी माँ है? कि अपनी बेटी को गर्भ में ही मार डाला, लेकिन इसके लिए माँ असहाय होती है, स्वयं मैथिलीशरण गुप्त जी ने नारी की विवशता पर कहा है–

> ''अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी!
> आँचल में दूध और आँखों में पानी!''[3]

भारत में सन् 1972 ई0 तक गर्भपात प्रतिबन्धित था। 1972 में कानून बना जिसके तहत अवैध संतान होने, गर्भ में बच्चे के अस्वस्थ तथा विकलांग होने अथवा बच्चों को गर्भ में रखने से माँ की जान को खतरा होने की स्थिति में गर्भपात की अनुमति दे दी गई। लेकिन इसका उपयोग अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाने के लिए होने लगा। अल्ट्रासाउण्ड के माध्यम से गर्भस्थ शिशु की जाँच करना व्यवसाय बन गया। गर्भस्थ शिशु यदि कन्या है तो गर्भपात के लिए स्त्री पर दबाव दिया जाने लगता था। स्त्री विशेष परिस्थितियों में ही विवश होकर गर्भपात के लिए तैयार हो पाती थी। कुछ सप्ताह के पश्चात संवेदनशील हो जाता है और वह अपने साथ होने वाली क्रियाओं की पीड़ा को महसूस करता है और अपने साथ होने वाली चीरफाड़ के दर्द को सहता है। डॉ0 निकोलस एम0 फिस्क–

> "Pain is subjective experience. The foetus cannot tell us what it is feeling; and there is no objective method for the direct measurement of pain. To address the question of pain in foetus, one must use indirect evidence from a variety of that which we use with animals. We cannot ask animals how they feel but infer from a variety of indirect approaches including study of their behaviour anatomy and physiology."[4]

यदि भ्रूण में सवेदना न होती, तो संभवतः उसे गर्भ में नष्ट करना इतना दुःखदायी नहीं होता लेकिन गर्भ में आये बच्चे की हत्या करना पाप है। यदि कन्या को जन्म देना अपराध है तो उसके लिये सिर्फ स्त्री ही जिम्मेदार क्यों? सजा देनी ही है तो उन पुरूषों को दीजिए जिनके कारण स्त्रियों के गर्भ में बेटियाँ आयी हैं।

और गर्भपात का दूसरा कारण यह है कि गर्भस्थ शिशु अवैध है या नाजायज है? क्या माँ की कोख में होने के लिए बच्चे को वैधता का प्रमाण देना होगा। क्यों स्त्री को हमेशा सत्यता का प्रमाण देना होता है एक पुरूष को क्यों नहीं। समस्या स्त्री जाति के अवमूल्यन की है जो कि दिन–प्रतिदिन निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। आज के युग में शिक्षित स्त्रियों को भी पुरूष वर्ग सैक्स की पूर्ति करने बच्चे को जन्म देने और घर–परिवार संभालने तक ही उपयोगी समझता

है। भ्रूण हत्या के लिए कहीं न कहीं स्त्री भी जिम्मेदार है जो कि स्वयं यह समझती है कि वंश की परम्परा को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र अवश्य होना चाहिए और पुत्र पैदा करने के बाद उसे सम्मान की दृष्टि से देखा जायेगा लेकिन यह निन्दनीय है और स्वयं में एक भ्रम है।

''माँगत कलेऊवा ए अम्मा बोलेलु लुलुआई।
माँगत बसीअवा ए अम्मा बोलेलु झहराई।।''

(बेटी अपनी माँ से कहती है– बेटी हूँ न तुम मेरी कदर नहीं करती खाना मांगती हूँ तो ललुआ लेती हो झिड़कती हो) बासी खाना मांगती हूँ तभी भी मुझे डाटत हो।[5]

भोजपुरी लोकगीत में यह कहा जा सकता है कि स्त्री ही स्वयं कुछ प्रतिशत तक इसके लिए जिम्मेदार है। ''Men like woman but don't understand her, woman understand woman but do not like her''

लड़कियों की गर्भ में हत्या कर देने से अथवा जन्म लेने के बाद मार देने से किसी समस्या का हल नहीं निकल पायेगा। न जाने कितनी स्त्रियाँ इसी डर से अपनी बेटी की हत्यारिन बन जाती हैं, कि जिस शोषण को हम भोग रहे हैं कल वही हमारी बेटियों के साथ दोहराया जायेगा और फिर वह भी हमारी तरह की समाज के सामने विवश होगी। रोज–रोज तिल–तिल मरने से अच्छा है कि वह एक ही बार मर जायें।

जिस प्रकार समाज में स्त्रियों के प्रति अपराध दिन–प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं उससे वह स्वयं के घर में भी असुरक्षित और असहज महसूस करने लगी है। किसी भी दिन समाचार–पत्र में ऐसा नहीं होता कि बलात्कार या अपहरण की कोई खबर न छपी हो। आज सभ्यता के इस युग में पुरूष वर्ग में स्त्री के प्रति सम्मान व सहानुभूति की भावना घट रही है अपितुब काम लिप्सा प्रबल हो रही है। प्रसिद्ध लेखिका तसलीमा नसरीन जी के शब्दों में–

''तुम लड़की हो यह मत भूलो
तुम लड़की हो
यह अच्छी तरह याद रखना
तुम जब घर की चौखट लांघोगी
लोग तुम्हें ढेढ़ी–मेढ़ी नजरों से देखेंगे
जब तुम गली से होकर गुजरोगी
लोग तुम्हारा पीछा करेंगे, सीटियाँ बजायेंगे
तुम जब गली पार करके मुख्य सड़क पर पहुँचोगी
लोग चरित्रहीन कहकर तुम्हें गालियाँ देंगे
तब यदि तुम पीछे लौटी तो व्यथ हो जाओगी
अतः मुड़कर मत देखो
जैसे जा रही हो जाओ।''[6]

अतः स्त्री स्वयं अपनी सुरक्षा के प्रति सजग हो। स्त्री की जड़ता तब तक नहीं टूटेगी जब तक वह स्वयं विद्रोह नहीं करेगी। अपने पर हो रहे अन्याय को अन्याय मानकर न्याय की मांग नहीं करेगी। उसे पाँव तले वह जमीन चाहिए जो ठोस हो। समाज में वह अपने दृढ़ पाँवों पर खड़े होकर अपने स्त्रित्व की रक्षा करे, उसे सुरक्षित स्थितियों का अहसास हो। सुरक्षित स्थितियों में ही आत्मविश्वास उत्पन्न होता है–''अपने प्रति स्वयं उत्तरदायी होने का गौरव और सिर ऊँचा करके आकाश छू लेने का उत्साह होता है। उत्साह यदि हर श्वास में समाये तो जड़ता का अंधकार दूर हो सकता है।''[7]

अगर भ्रूण हत्या पर रोक नहीं लगी तो स्त्रियों की संख्या कम होती चली जायेगी और यदि स्त्रियों की संख्या घटी तो हर पुरूष के लिए स्त्रियाँ कहाँ से आयेंगी? अतः लड़कियों को जन्म लेने के लिए खुले अवसर मिले तथा अज्ञान व अंधविश्वासों के कारण बेटियों के विषय में आधारहीन धारणायें न पाली जायें। अतः दोनों को जन्म लेने का अधिकार मिले, दोनों को बड़ा होने, पढ़ने–लिखने व आगे बढ़ने के अवसर मिलें।

अतः समझदारी इसी में ही है कि स्त्री को गर्भपात के लिए मजबूर न किया जाये। कोशिश की जाये कि जिस बच्चे की जरूरत नहीं है वह गर्भ में आये ही नहीं। यदि एक बार बच्चा गर्भ में आ जाये तो उसे अवांछित न माना जाये। गर्भ में आये हर स्वस्थ बच्चे को जन्म का अधिकार मिले। बेटे और बेटी के अन्तर को मन से निकाल दिया जाये। हर बच्चे का खुशी से स्वागत किया जाये, साथ ही किसी भी बेटी को अनचाही मौत न मिले तथा माँ को भी गर्भपात की सजा न मिले।

संदर्भ

1. Indian Medical Association Report – Times of India 4 September, 2015.
2. गर्भ पर स्त्री का अधिकार नहीं (लेख) – डॉ0 शारदा जैन
3. साकेत–मैथिलीशरण गुप्त
4. Fetal Pain: Implications for Research and Pratice - Dr. Nicolas M. Fisk
5. बेटियाँ– अजन्मी, अवांछित – एम0पी0 कमल, पृ0–123
6. क्यों मारी जाती है लड़कियाँ (लेख) – तसलीमा नसरीन
7. नारी जड़ताब कैसे तोड़ेगी– डा0 सरोजिनी प्रीतम–पृ0–69